भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

07.12.2022 के

अतारांकित प्रश्न सं. 215 का उत्तर

आरयूबी/आरओबी का निर्माण

215. श्री नारणभाई काछड़िया:

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे द्वारा अमरेली और बनासकांठा जिलों में रेल अधोगामी पुलों (आरयूबी)/रेल उपरि पुलों(आरओबी) के निर्माण के लिए कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) इन अभ्यावेदनों पर कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) स्वीकृत आरयूबी/आरओबी के कब तक पूरा होने की संभावना है?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्यौगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): जी हां ।

<u>अमरेली:</u> अमरेली-खिजिदिया खंड में समपार सं. 17 के स्थान पर निचले सड़क पुल (आरयूबी) के साथ ऊपरी सड़क पुल (आरओबी) और साबरकांठा शहर में बायपास पर 01 आरओबी के निर्माण के लिए 01 अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। इन कार्यों को सड़क और भवन विभाग (आरएंडबी), गुजरात सरकार द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। समपार सं. 17 के स्थान पर आरयूबी का निर्माण कार्य पूरा करके उसे चालू कर दिया गया है। आरएंडबी विभाग, गुजरात सरकार द्वारा शेष दोनों आरओबी का कार्य प्रगति पर है।

<u>बनासकांठा :</u> बनासकांठा जिले में आरओबी/आरयूबी के निर्माण के लिए 06 अदद अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(i) समदडी-भिलड़ी खंड पर किमी 212/9-213/0 पर समपार सं. 159 (यातायात वाहन इकाई (टीवीयू-180985)। मौजूदा नीति के अनुसार, प्राथमिकता और धन की उपलब्धता के अनुसार रेलवे द्वारा आरओबी के निर्माण कार्य पर विचार किया जाता है बशर्ते आरओबी के निर्माण के बाद पहुंच मार्गों के लिए अपनी लागत पर बाधा मुक्त भूमि प्रदान करने और समपार को बंद करने की सहमति प्रदान करे। बहरहाल, यदि राज्य सरकार इस स्थान पर शीघ्र आरओबी का निर्माण करना चाहती है, तो निक्षेप शर्तों पर इस पर विचार किया जा सकता है।

(ii) अजमेर पालनपुर खंड पर किमी 616/8-9 पर समपार सं. 143 - इस समपार को मई 2021 में इसके स्थान पर जिला प्राधिकरण की सहमति से सबवे के निर्माण द्वारा बंद कर दिया गया था। वर्तमान में, यहां कोई समपार नहीं है। बहरहाल, इस स्थान पर निक्षेप शर्तों पर आरओबी का निर्माण करने पर विचार किया जा सकता है बशर्ते राज्य सरकार इसकी व्यवहार्यता के अध्यधीन निर्माण और अनुरक्षण की 100% लागत वहन करने के लिए सहमत हो। इस संबंध में, राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(iii) समपार सं. 171ए (टीवीयू-9038 (पालनपुर-अहमदाबाद) वाले): समपार सं. 171ए के स्थान पर आरयूबी स्वीकृत किया गया है और इसका कार्य प्रगति पर है और इसकी 2023-24 में पूरा होने की संभावना है।

(iv) समपार सं. 167बी (पालनपुर-करजोदा): इस समपार को कम यातायात वाहन इकाई (टीवीयू) के कारण जिला मजिस्ट्रेट की सहमति से बंद कर दिया गया था। वर्तमान में, यहां कोई समपार नहीं है। बहरहाल, इस स्थान पर निक्षेप शर्तों पर आरओबी का निर्माण करने पर विचार किया जा सकता है बशर्ते राज्य सरकार इसकी व्यवहार्यता के अध्यधीन निर्माण और अनुरक्षण की 100% लागत वहन करने के लिए सहमत हो। इस संबंध में, राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(v) समपार सं. 26 (पालनपुर-समख्याली): यह समपार पीपावाव रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीआरसीएल) की विशेष प्रयोज्य योजना (एसपीवी) लाइन पर पड़ता है। इन लाइनों पर कोई भी कार्य पीआरसीएल या राज्य सरकार/सड़क के स्वामित्व वाले प्राधिकरण द्वारा अपनी लागत पर किया जा सकता है।

(vi) समपार सं. 62 (टीवीयू-197077 (पालनपुर-समख्याली) वाला): समपार सं. 62 के स्थान पर आरओबी का कार्य स्वीकृत किया गया है और यह कार्य प्रगति पर है और इसके 2023-24 में पूरा होने की संभावना है।

******